राजस्थान साववजननक भू-गृहादि(अप्राधिकृत अधिवाससयों की बेिखली),1964

(1965 अधिननयम सं. 2)

(राष्ट्रपनत की अनुमनत दिनांक 11 जनवरी,1965 को प्राप्त हुई)

साववजननक भू-गृहादि से अप्राधिकृत अधिवाससयों को बेिखल करने तथा

कनतपय आनुषंधगक ववषयों के सलए व्यवस्था करने हेतु अधिननयम।

राजस्थान राज्य ववान मण्डल द्वारा भारत गणराज्य के पन्द्रहवें वषव में

ननम्नरूपेण अधिननयसमत ककया जाता ह ैः-

1 संक्षिप्त नाम/ववस्तार तथा प्रारंभैः-(*1*)यह अधिननयम राजस्थान साववजननक

भू-गृहादि(अप्राधिकृत अधिवाससयों की

बेिखली)/अधिननयम ***1964*** कहलायेगा।

(*2*)इसका ववस्तार संपूणव राजस्थान राज्य में होगा।

(*3*)यह तुरन्द्त प्रभावषील होगा।

2-पररभाषायें- इस अधिननयम में जब तक संिभव द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो--(क) संपिा अधिकारीसे तात्पयव इस रूप् में/राज्य सरकार द्वारा िारा *3* के िीन ननयुक्त अधिकारी से ह ैः-

(ख)‘साववजननक भू-गृहादिसे तात्पयव ऐसे भू-गृहादि से ह जो राज्य सरकार का हो या उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर सलया गया हो या अधिगृहीत ककया गया हो और उसमें कोई भी ऐसे भू-गृहादि शासमल ह जो--

(i)राजस्थान नगरपासलका अधिननयम,1959 (राजस्थान अधिननयम 1959 का 38)के िीन स्थावपत या स्थावपत समझे गये नगरपासलका बोडव या नगरपासलका पररषि]या

(ii)राजस्थान नगर सुिार अधिननयम,1959 (राजस्थान अधिननयम 1959 का 35)के िीन स्थावपत सुिार प्रन्द्यास(इम्प्रूवमेंट रस्ट) के हों।

2’’(iii) राजस्थान राज्य औद्योधगक एवं खननज ववकास ननगम सलसमटेड या राजस्थान राज्य औद्योधगक ववकास तथा ववननिान ननगम सलसमटेड के, जो कक इनमें से ककसी के द्वारा ववकससत औद्योधगक िेत्र में संननसमवत ककये गये हों; या

(iv) राजस्थान पंचायत अधिननयम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिननयम 21) के िीन स्थावपत ककसी पंचायत के; या

(v) राजस्थान पंचायत ससमनत एवं जजला पररषि अधिननयम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिननयम 37) के िीन स्थावपत ककसी पंचायत ससमनत के या जजला पररषि के ;या

(vi) कंपनी अधिननयम, 1956 (1956 का केंरीय अधिननयम 1) की िारा 617 में यथा पररभाववषत सरकारी कंपनी के; या

(vii) राजस्थान सरकार के िेवस्थान ववभाग के या वे स्थान जो उसके द्वारा प्रबंधित या ननयंत्रत हो; या

(viii) वक्फ अधिननयम, 1954 (1954 का केंरीय अधिननयम 29) में यथा पररभाववषत वक्फ के और उस अधिननयम की िारा 26 के िीन रखे गये वक्फ रजजस्टर में प्रववष्ट

ककसी; या

(ix) राजस्थान कृवष उपज मंडी अधिननयम, 1961 (1961 का राजस्थान अधिननयम 38) के अिीन स्थावपत मंडी ससमनत के।या''2

3''(x) ककसी केन्द्रीय अधिननयम या ककसी राजस्थान अधिननयम द्वारा स्थावपत या गदित और राज्य सरकार के स्वासमत्वािीन या उसके द्वारा ननयंत्रत ककसी ननगससमत ननकाय के या''3

4''(xi)िरगाह ख्वाजा सादहब अधिननयम1955 (1955का केंरीय अधिननयम संख्या 36)के उपबंिों के अनुसार प्रषाससत िरगाह ख्वाजा सादहबअजमेर के]या

(xii)नाथद्वारा अधिननयम]1959 (1959का राजस्थान अधिननयम संख्या 13)के उपबंिों के अनुसार प्रषाससत श्री श्रीनाथजी मंदिर नाथद्वारा के िेवता के]या

(xiii)श्री सांवसलयाजी मंदिर अधिननयम1992 (1992 का राजस्थान अधिननयम संख्या 8)के उपबंिो के अनुसार प्रषाससत श्री सांवसलयाजी माण्डकफया (जजला धचतौडगढ) के िेवता के।''4

---

2. 1982 केअधिनियमसंख्या 24 द्वाराजोडागया
3. 1997 केअधिनियमसंख्या 10 द्वाराअन्तःस्थापित ककयागया
4. िारा 2 केखण्ड (ख) काउिखण्ड (xi) 1998 केअधिनियमसंख्या 6 द्वाराहटायागया 2003 केअधिनियमसंख्या 12 द्वाराअन्तःस्थापित ककये गये

स्पष्टीकरणैः- शंकाओं के ननराकरण के सलए इसके द्वारा यह स्पष्ट ककया जाता ह

कक इस अधिननयम के उपबंि ककसी वक्फ की ककसी भी ऐसी स्थावर संपवि पर लागू नहीं होंगे जो ऐसी संसंपवि के रूप में, वक्फ अधिननयम, 1954 (1954 का केंरीय अधिननयम 29) की िारा 26 के अिीन रखे गये वक्फ रजजस्टर में प्रववष्ट हो और िारा 36क के उपबंिों के उल्लंघन में, वक्फ बोडव की पूवव मंजूरी के त्रबना अंतररत कर िी गई हो तथा उस अधिननयम की िारा 36ख के उपबंिों ऐसी संपवि का कब्जा वापस लेने के सलए लागू रहना चालू रहेगा;''।

(ग) 'भू-गृहादिसे तात्पयव ककसी भूसम या ककसी भवन या भवन के ककसी भाग से ह और उसमें ननम्नसलखखत सजम्मसलत ह --

(*1*)उद्यान/म िान और उप-गृह/यदि कोई हों/जो ऐसे भवन या भवन के भाग से संबंद्ि हो/और

(*2*)ऐसे भवन या भवन के भाग में लगे हुए कोई भी कफदटंग्स(Fitting) जो उसके अधिक सुववधाजनक उपयोग के सलए हों।

(घ) ककरायासे/ ककसी साववजननक भू-गृहादि के संबंि में/ तात्पयव/भू-गृहादि के प्राधिकृत अधिवास के सलए/ननयतकासलक रूप से िेय प्रनतफल(consideration) से ह और उसमें ननम्नसलखखत सजम्मसलत ह --

(*1*)भू-गृहादि के अधिवास के संबंि में त्रबजली/ जल या अन्य ककसी सेवा के सलए कोई भी शुल्क(charges)/

(*2*)भू-गृहादि के संबंि में िेय कोई भी कर(जो चाहे ककसी भी नाम से पुकारा जाता हो)/ जहां उक्त शुल्क या कर राज्य सरकार द्वारा िेय होैः

(ड.) अप्राधिकृत अधिवाससे/ ककन्दहीं भी साववजननक भू-गृहादि के संबंि में तात्पयव ककसी भी व्यजक्त द्वारा/साववजननक भू-गृहादि के ऐसे अधिवास से ह जजसके सलए कोई प्राधिकार नहीं ह / और उसमें/ककसी भी व्यजक्त द्वारा साववजननक भू-गृहादि में/

उस प्राधिकार(चाहे वह स्वीकृनति कर या हस्तान्द्तरण की ककसी अन्द्य रीनत से दिया गया हो) जजसके के िअीन उसे भू-गृहादि के अधिवास के सलए अनुमनत िी गई थी/के समाप्त हो जाने या ककसी भी अन्द्य कारण से उसे समाप्त कर िेने के बाि/अधिवास करते रहना सजम्मसलत ह ।

3-संपिा अधिकाररयों की ननयुजक्तैः- राज्य सरकार/ राज-पत्र में वववज्ञजप्त ननकाल करैः-

(क) ऐसे अधिकाररयों को/जो सरकार के राज-पत्रत्रत अधिकारी हो या िारा *2* के खण्ड(ख) में ननदिवष्ट नगरपासलका बोडव या पररषद् या सुिार-प्रन्द्यास के समान िजे के अधिकारी हों/ जजन्द्हें वह/इस अधिननयम के प्रयोजनाथव संपिा अधिकारी होने के सलये समुपयुक्त समझे/ननयुक्त कर सकेगीैः और

(ख) वे स्थानीय सीमायें/जजनके भीतर अथवा साववजननक भू-गृहादि की वे श्रेखणंया/जजनके कक संबंि में संपिा-अधिकारी/ इस अधिननयम द्वारा या उसके िअीन उनको प्रिि शजक्तयों का प्रयोग तथा सौंपे गये किव्यों का पालन करेंगे/ननिावररत कर सकेगी।

4- बेिखली की आज्ञा के वविरूद्ि कारण बताने के सलये नोदटस का जारी ककया जानाैः-

(*1*)यदि संपिा अधिकारी का यह मत हो कक कोई भी साववजननक भू-गृहादि ककन्द्हीं

भी व्यजक्तयों के अप्राधिकृत अधिवास में हैं और यह कक उनको बेिखल ककया

जाना चादहये/तो संपिा अधिकारी/एतद्पष्ट्चात इसमें प्राविहत रीनत से सलखखत में

एक नोदटस जारी करेगा जजसमें समस्त सम्बजन्द्ित व्यजक्तयों को इसके सलए

कारण बतलाने के सलए कहा जायेगा कक (उनके वविरूद्ि) बेिखली की आज्ञा क्यों

नहीं जारी कर िी जाये।

(*2*)नोदटस में-

(क) उन कारणों का उल्लेख होगा जजन पर बेिखली की आज्ञा िी जाना प्रस्ताववत ककया गया ह । और

(ख) समस्त संबंधित व्यजक्तयों/अथावत ऐसे समस्त व्यजक्तयों/जो साववजननक भू-गृहादि में अधिवास ककये हुए ह या अधिवास ककये हुए हो सकते ह अथवा जो उनमें दहत का िावा करते ह /से/ प्रस्ताववत आज्ञा के वविरूद्ि/ एसी तारीख -जो नोदटस मे ननदिवष्ट की गई ह /और जो ऐसी तारीख होगी जो उक्त आज्ञा जारी ककये जाने की तारीख से *10* दिन पूवव की नहीं होगी-को या उसके पूवव कारण बतलाने/यदि कोई हो/ के सलये अपेिा की जायेगी।

(*3*)संपिा अधिकारी/ नोदटस की तामील/ उसे भू-गृहादि के बाहर के िरवाजे पर या उनके ककसी अन्द्य सहजगोचर स्थान पर धचपका कर और अन्द्य रीनत से/जो ननिावररत की जाय/करवायगा/ जजसके उपरांत नोदटस समस्त संबंधित व्यजक्तयों को यथोधचत रूप से दिया गया समझा जायगा।

(*4*)जहां संपिा अधिकारी यह जानता ह या उसके पास यह वववष्ट्वास करने के सलये कारण

ह कक ककन्द्हीं व्यजक्तयों का साववजननक भू-गृहादि में अधिवास ह /तो उप-िारा (*6*) के प्राविानों को हानन पहुंचाये त्रबना/ वह ऐसे प्रत्येक व्यजक्त पर/ नोदटस की प्रनत उसके पास डाक द्वारा भेज कर या उसे डडलीवर करके या प्रस्तुत करके अथवा ऐसी अन्द्य रीनत से जो ननिावररत की जाय/तामील करवायेगा।

(*5*)अनाधिकृत अधिवाससयों की बेिखलीः- (*1*) यदि िारा *4* के अिीन नोदटस के अनुसरण में ककसी भी व्यजक्त द्वारा बतलायें गये कारण पर/यदि कोई हो/ और उसकी पुजष्ट्ट में उसके द्वारा प्रस्तुत ककसी भी साक्ष्य पर ववचार करने के पश्चात तथा उसे सुनवाई का एक उधचत अवसर प्रिान करने के पश्चात/ संपिा अधिकारी संतुष्ट्ट हो जाय कक भू-गृहादि/ अप्राधिकृत अधिवास में ह तो वह अधिकारी इस प्रयोजन के सलये ननजष्ट्चत की जाने वाली तारीख को/उन कारणों से जजनको आज्ञा में अंककत ककया जायेगा/ बेिखली की आज्ञा जारी करेगा/जजसमें यह ननिेष दिया

जायेगा कक साववजननक भू-गृहादि/उन सभी व्यजक्तयों द्वारा जो उन पर या उनके ककसी भी भाग में अधिवास करते हो/खाली कर दिये जाय और आज्ञा की एक प्रनत साववजननक भू-गृहादि के बाहरी िरवाजे पर या उसके अन्द्य सहजगोचर भाग पर धचपकवायेगा।

(*2*)यदि कोई व्यजक्त बेिखली की आज्ञा का उप-िारा (*1*) के अिीन उसके प्रकावषत ककये जाने की तारीख से *30* दिन के भीतर भीतर पालन करने से मना करता ह या करने में असफल रहता ह / तो/ संपिा अधिकारी या इस संबंि में संपिा अधिकारी द्वारा यथोधचत रूप् से प्राधिकृत कोई भी अन्द्य अधिकारी/उस व्यजक्त को/साववजननक भू-गृहादि से बेिखल कर सकेगा और उनको अपने कब्जे में ले सकेगा तथा तत्प्रयोजनाथव ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा/जो आवश्यक हो।

(*6*)अप्राधिकृत अधिवाससयों द्वारा साववजननक भू-गृहादि में छोडी गई संपवि का ननपटाराः- (*1*) जहां िारा*5*– अिीन/ककंही भी साववजननक भू-गृहादि से कोई भी व्यजक्त बेिखल कर दिये गये ह / तो संपिा अधिकारी उन व्यजक्तयों को जजनसे साववजननक भू-गृहादि का का कब्जा सलया गया ह -*14*दिन का नोदटस िेने के पश्चात्और नोदटस कोउस बस्ती में प्रचसलत कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकावषत कराने के पश्चात्ऐसे भू-गृहादि पर रही हुई ककसी भी संपवि को हटा या हटवा सकेगा अथवा अथवा साववजननक नीलामी द्वारा ननपटा सकेगा।

(*2*) जहां ककसी संपवि का उप-िारा (*1*) के अिीन ववक्रय ककया जाय तो ववक्रय-आयत्रबक्री पर होने वाले व्यय और वह रावष यदि कोई हो/जो ककराये या हजावने या खचे की बकाया के कारण राज्य सरकार को िेय हो/को घटाने के पष्ट्चात/एसे व्यजक्त या व्यजक्तयों को/जो संपिा अधिकारी को उसको पाने के अधिकारी प्रतीत हों/ िेिी जायेगीः

परंतु शते यह ह कक जहां संपिा अधिकारी ऐसे व्यजक्त या व्यजक्तयों/जजन्द्हें उक्त रावष की शेष रकम िेय ह /के संबंि में या उसके दहस्से के संबंि में ननणवय करने में असमथव हो/जो वह उक्त ववावि को सिम िेत्राधिकार रखने वाले िीवानी

न्द्यायालय को प्रेवषत कर सकेगा और उस पर/न्द्यायालय द्वारा दिया गया ननणवय

अंनतम होगा।

(*7*) साववजननक भू-गृहादि के संबंि में ककराया या हजावने की वसूली/ भू-राजस्व की

बकायाओं के रूप् में करने की शजक्तैः- (*1*) जहां ककसी व्यजक्त में/ककन्द्हीं भू-गृहादि

के संबंि में िेय ककराये कीरावष बकाया हो/तोसंपिा अधिकारीआज्ञा द्वारा/उस

व्यजक्त से ऐसी अवधि और ऐसी ककष्ट्तों में जो आज्ञा मेंननिावररत की जाये/बकाया

रावष का भुगतान करने की अपेिा कर सकेगा।

(*2*) जहां कोई भी व्यजक्त ककंही साववजननक भू-गृहादि में अप्राधिकृत अधिवास करता ह या जजसने ककसी भी समय अप्राधिकृत अधिवास ककया ह /तोसंपिा अधिकारी/ हजावना ननिावररत करने के ऐसे ससद्िांतोजो ननिावररत ककये जाये/का ध्यान रखते हुए/ ऐसे भू-गृहादि के उपयोग तथा अधिवास के कारण हुए हजावनों का ननिावरण कर सकेगा और आज्ञा द्वारा उस व्यजक्त से/ऐसी अवधि और ऐसी ककष्ट्तों मेंजो आज्ञा में ननिावररत की जाये/हजावने का भुगतान करने की अपेिा कर सकेगा।

(*3*) उप-िारा (*1*) या उप-िारा (*2*) के िीन कोई भी आज्ञा ककसी व्यजक्त के ववरूद्ि तब तक जारी नहीं की जायगी जब तक उस व्यजक्त को सलखखत में एक ऐसा नोदटस- जजसमें उसे ऐसी अवधि मेंजो नोदटस में ननिावररत की जाय/ इस बात का कारण बतलाने के सलये कक ऐसी आज्ञा क्यों नहीं जारी कर िी जाय-जारी न कर दिया जाय और जब ता उसकी आपवियोंयदि कोई हों/पर और उनकी पुजष्ट्ट में उसके द्वारा प्रस्तुत ककसी साक्ष्य पर संपिा अधिकारी द्वारा ववचार न कर सलया जाय।

(*8*) संपिा अधिकाररयों की शजक्तैः- इस अधिननयम के िीन कोई जांच करने के प्रयोजनाथव संपिा अधिकारी को वे ही शजक्तयां प्राप्त होंगी जो ननम्नसलखखत मामलों के संबंि में ककसी वाि पर व धिक ववचार करते समय/कोड ऑफ ससववल प्रोसीजर***1908***(सेंरल एक्ट ***5]*** सन ***1908***के िीन ककसी िीवानी न्द्यायालय में ननदहत होती ह /अथावत्ैः-

(क) ककसी व्यजक्त को बुलाना और उसको उपजस्थत होने के सलये बाध्य करना तथा शपथ दिलाकर उसकी जांच करना/

(ख) िस्तावेजों की खोज तथा उन्द्हें प्रस्तुत करवानें की अपेिा करना/

(ग) कोई अन्द्य ववषय जो ननिावररत ककया जाय।

(*9*) अपीलेंैः- (*1*) िारा ***5*** या िारा *7*के िीन ककंही भीभू-गृहादि के संबंि में िी गई संपिा अधिकारी को प्रत्येक आज्ञा के ववरूद्ि अपील ककसी ऐसे अपीलेट अधिकारी को जो उस जजले का जजसमें कक साववजननक भू-गृहादि जस्थत ह / जजला न्द्यायािीष होगा/या उस जजलें के ऐसे अन्द्य जुडीषल ऑकफसर को/जो वहां कम से कम िस वषों से कायव कर रहा हो/और जजसको इस संबंि में जजला न्द्यायािीष ननयुक्त करें/ को प्रस्तुत की जायेगी।

(*2*) उप-िारा (*1*) के िीन अपील-

(क) िारा ***5*** के अिीन ककसी आज्ञा के ववरूद्ि की जाने वाली ककसी अपील

की िषा में/उक्त िारा की उप-िारा (***1***) के अिीन आज्ञा के प्रकावषत होने की

तारीख से***15***दिन के भीतर/और

(ख) िारा *7* के अिीन ककसी आज्ञा के ववरूद्ि की जाने वाली ककसी अपील की िशा में अपीलांट को आज्ञा समलने की तारीख से ***15*** दिन के भीतरप्रस्तुत की जायेगीः

परन्द्तु शतव यह ह कक अपीलेट अधिकारी उक्त ***15*** दिन की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा/ यदि वह सन्द्तुष्ट्ट हो जाय कक अपीलांट समय पर अपील प्रस्तुत करने से पयावप्त कारणों से रुक गया था।

(***3***) जहां संपिा अधिकारी की ककसी आज्ञा के ववरूद्ि कोई अपील प्रस्तुत की गई ह तो अपीलेट अधिकारीउक्त आज्ञा के प्रवतवन को ऐसी अवधि के सलए तथा ऐसी शतों पर/जजन्द्हें वह उधचत समझे/रोक सकेगा।

(***4***) इस िारा के अिीन प्रत्येक अपील/अपीलेट अधिकारी द्वारा जजतनी सम्भव हो उतनी शीघ्र ननपटाई जायगी।

(***5***) इस िारा के अिीन ककसी भी अपील का खचाव/अपीलेट अधिकारी के स्वववववेकािीन होगा।

10. आज्ञा का अंनतम होनाः- इस अधिननयम में स्पष्ट्टतः अन्द्यथा प्राविहत होने के अनतररक्तइस अधिननयम के अिीन संपिा अधिकारी या अपीलेट अधिकारी द्वारा िी गई प्रत्येक आज्ञा अंनतम होगी और उसके संबंि में ककसी मूल वाि/आवेिन-पत्र/या ननष्ट्पािन कायवाही में कोई प्रश्न नहीं उिाया जायगा और इस अधिननयम द्वारा या तिन्द्तगवत प्रिि ककन्द्हीं शजक्तयों के अनुसरण में की गई या की जाने वाली ककसी कायवाही के संबंि में ककसी न्द्यायालय या अन्द्य सिा(authority) द्वारा कोई ननषेिाज्ञा (injunction) जारी नहीं की जायगी।

11. अपराि और शाजस्तः- (***1***) यदि कोई व्यजक्त जजसे इस अधिननयम के अिीन ककन्द्हीं भू-गृहादि से बेिखल ककया गया ह /उक्त भू-गृहादि पर कफर अधिवास/ऐसे अधिवास के सलए प्राधिकृत हुए त्रबनाकरता ह तो वह कारावास से जो एक वषव तक हो सकता ह या ऐसे अथव िण्ड से जो एक हजार रुपये तक हो सकता ह या िोनों ही से िण्डनीय होगा।

(***2***) उप-िारा (***1***) के अिीन ककसी व्यजक्त को िोषी िहराने वाला कोई भी मजजस्रेट/उक्त व्यजक्त को बेिखल ककये जाने की एक संक्षिप्त आज्ञा (summarily) जारी कर सकेगा और वह इस अधिननयम के अिीन उसके ववरुद्ि की जाने वाली ककसी कायवाही पर त्रबना प्रनतकूल प्रभाव डाले/उक्त बेिखली का भागी होगा।

12. सूचना प्राप्त करने की शजक्तयाःँ- यदि संपिा अधिकारी के पास यह ववश्वास करने के सलये कारण ह कक कोई व्यजक्त ककन्द्हीं भू-गृहादि पर प्राधिकृत अधिवास ककये हुए हैं तो/संपिा अधिकारी या उसके द्वारा इस बारे में प्राधिकृत कोई अन्द्य अधिकारीउन व्यजक्तयों से या ककसी अन्द्य व्यजक्त से/साववजननक भू-गृहादि पर अधिवास ककये हुए व्यजक्तयों के नाम और अन्द्य वववरणों के संबंि में सूचना प्रस्तुत करने की अपेिा कर सकेगा और

प्रत्येक व्यजक्त जजससे ऐसी अपेिा की गई ह उसकी जानकारी में होने वाली सूचना प्रस्तुत करने के सलये बाध्य होगा।*13*. उिराधिकाररयोंऔर व ि प्रनतननधियों का िानयत्वैः- (*1*) जहां कोई व्यजक्त/ जजसके ववरुद्ि ककराये की बकाया रासश के ननिावरण या हजावने के ननिावरण के सलये कोई कायवाहीकी जानी हो या की जा रही हो/कायवाही प्रारम्भ ककये जाने के पूवव या कायवाही ववचारािीन होने के िरसमयान मृत्यु को प्राप्त हो जाता ह तो कायवाही उक्त व्यजक्त के उिराधिकाररयों या व द्य प्रनतननधियों के ववरूद्व प्रारम्भ की जा सकेगी या चालू रखी जा सकेगी ज सी भी जस्थनत हो।

(*2*) ककसी व्यजक्त द्वारा राज्य सरकार को िेय कोई रकम जो या तो ककराये की बकाया या हजावने या खचे (costs) के रूप में हो/उक्त व्यजक्त की मृत्यु पश्चात/उसके उिराधिकाररयों या व द्य प्रनतननधियों द्वारा भुगतान योग्य होगीककन्द्तु उनका िानयत्व उक्त मृत व्यजक्त के ऐसे पररसंपत (assets) तक सीसमत होगा जो उन्द्हे प्राप्त हुआ हो।

14. ककराया इत्यादि की भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली- यदि कोई व्यजक्त िारा (*7*)की उप िारा (*1*)के अिीन भुगतान योग्य ककराये की बकाया रकम या उस िारा की उप-िारा (*2*)के अिीन भुगतान योग्य हजावना या िारा *6* की उप-िारा (*5*)के अिीन राज्य सरकार को दिलाया गया खचाव/अथवा ऐसे ककरायेहजावने या खचे के ककसी भाग का/ समय के भीतर/यदि तत्संबंिी आज्ञा में कोई समय उसके सलए ननदिवष्ट ककया गया हो/भुगतान करने से इन्द्कार करें या भुगतान करने में ववफल रहे तो सम्पिा अधिकारी िेय रासश के संबंि में कलक्टर के नाम एक प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा जो उसे भू-राजस्व की ककसी बकाया के रूप में वसूल करने की कायवाही करेगा।

15.सिभावनापूववक की गई कायवाही का रिणैः-इस अधिननयम या तिन्द्तगवत ननसमवत ककन्द्ही ननयमो या आज्ञाओं के अनुसरण में सिभावनापूववक की गई या ककये जाने के सलए असभप्रेत ककसी भी कायवाही के संबंि में राज्य सरकार या अपीलेंट प्राधिकारी या संपिा अधिकारी के ववरूद्व कोई वाि/असभयोग या अन्द्य व ि कायवाही नही चलायी जा सकेगी।

16. शजक्तयों का प्रत्यायोजन- राज्य सरकार/सरकारी गजट में ववज्ञजप्त द्वारा/ननिेश िे सकेगी कक इस अधिननयम के अिीन उसके द्वारा प्रयोग ककये जाने योग्य ककसी शजक्त काऐसी शतो यदि कोई हो/जो उक्त ववज्ञजप्त में ननदिवष्ट की जाय/के अिीन रहते हुए/राज्य सरकार के ककसी अधिकारी द्वारा भी प्रयोग ककया जा सकेगा।

17.ननयम बनाने की शजक्तयां-(*1*)राज्य सरकार/सरकारी गजट में ववज्ञजप्त द्वारा/इस अधिननयम के प्रयोजनो को कक्रयाजन्द्वत करने के सलए ननयम बना सकेगी।

(*2*)ववशेष रूप से और पूववगामी शजक्त की व्यापकता पर कोई प्रनतकूल प्रभाव डाले त्रबनाउक्त ननयमों में ननम्नसलखखत मामलो मे से समस्त या ककसी के सलए व्यवस्था की जा सकेगीअथावत (क) इस अधिननयम के अिीन दिये जाने के सलए अपेक्षित या प्राधिकृत ककसी नोदटस का

प्रपत्र तथा तरीका जजससे उसकी तामील कराई जा सकेगी।
(ख) इस अधिननयम के अिीन जांच करवाना
(ग) संपिा अधिकाररयों के बीच कायव का ववतरण तथा आवण्टन और ककसी संपिा अधिकारी के ववचारािीन ककसी कायवाही का िूसरे संपिा अधिकारी कोहस्तान्द्तरण।(घ) प्रकक्रया जजसका साववजननक भू-गृहादि का कब्जा लेने में अनुसरण ककया जायगा
(ङ) तरीका जजससे अप्राधिकृत अधिवास के सलये हजावना ननिावरत ककया जा सकेगा और ससद्िािंत जजनको उक्त हजावना ननिावरत करने मे ध्यान में रखा जा सकेगा(च) तरीका जजससे अपीले प्रस्तुत की जा सकेंगी और प्रकक्रया जजसका अपीलों के संबंि में अनुसरण ककया जायगा/ और
(छ) ऐसा कोई अन्द्य मामला जजसका ननिावरत ककया जाना आवश्यक हो या जो ननिावरत ककया जाय।

(*3*)समस्त ननयम जो इस अधिननयम के अिीन बनाये जायें/बनाये जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र/ राज्य वविान मण्डलजब कक सत्र चालू हो के सिन के समि ऐसी अवधि जो चौिह दिन से कम न होतथा जो एक सत्र में अथवा िो उिरोिरसत्रों में पूणव हो/के सलये रखे जायेंगे और यदिउस सत्र कीजजसमें कक वे रखे जायं या तिनुवती सत्र की जजसमें कक वे रखे जायें या तिनुवती सत्र कीसमाजप्त के पूववराज्य वविान मण्डल का सिन उक्त ननयमों में से ककसी में कोई रूपान्द्तर करे अथवा यह ननजश्चत करे कक कोई व सा ननयम नहीं बनाया जाना चादहये तो उक्त ननयम तत्पश्चात्उक्त रूपेण रूपान्द्तरररत स्वरूप में ही प्रभावयुक्त अथवा प्रभाव-शून्द्ययथाजस्थनतहोगा तथावप इस भांनत कक तिन्द्तगवत पूववतैः की गई ककसी बात की व िता पर व सा कोई रूपान्द्तरण अथवा असभशून्द्यनप्रनतकूल प्रभाव नहीं रखेगा।***18***.ननरसनैः- राजस्थान प्रेसमसेज (ररक्वीजीशन एण्ड एववक्शन) आडडवनेन्द्स/ ***1949*** (राजस्थान आडडवनेन्द्स संख्या ***11***/सन् ***1949***) में-
(क) िारा ***11***लोवपत की जायगी/तथा
(ख) िारा ***13*** की उप-िारा (*2*) में/

(*1*) खण्ड (क) में/शब्ि/अंक तथा कोष्ट्िक या िारा ***11***की उप-िारा (*2*) के अिीन अपीलोंऔर

(*2*) खण्ड (घ) में शब्ि/ अंक तथा कोष्ट्िक या िारा ***11***की उप-िारा (*5*) में पररभावषतसरकारी भवनों ननकाल दिये जायेंगे।

---- राज्य केन्द्रीय मुरणालय /जयपुर।

लहरससंह मेहताशासन सधचव